न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस
अपील संख्या – 71/2011/223 आरटीए

1. किशनलाल दत्तक पुत्र स्व. द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी रतनगढ़ तहसील रतनगढ़ जिला चूरू।

– अपीलांट

बनाम

1. औंकारमल पि. हुकमचंद जाति ब्राहम्ण निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. नन्दलाल पि. हुकमचंद जाति ब्राहम्ण निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. गीतादेवी पत्नि द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी रतनगढ़ तहसील रतनगढ़ जिला चूरू(फौत)

————रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2010 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी मु.न. 228/2010 अनवानी औंकारमल बनाम गीतादेवी

उपस्थित :–
श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलांट
श्री राजेन्द्र जैन अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2

निर्णय दिनांक 25.05.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पेश किया कि अन्य आराजी के साथ चक 7 एमकेएस के खाता सं. 19/16 के प.न. 193/231 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 प.न. 193/232 कि.न. 1, 10 कुल 7 बीघा यानि 1.771 है0 आराजी मय रास्ता प्रतिवादिया के नाम से दर्ज रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादिया रेस्पो0 सं. 3 आपस मे एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादिया के नाम से दर्ज 1.771 है0 भूमि का अरसा दराज पूर्व पारिवारिक समझौता के आधार पर बंटवारा किया गया था पारिवारिक समझौता मे वादीगण की आराजी प्रतिवादिया को दी गई एवं प्रतिवादिया के नाम की उक्त विवादित भूमि वादीगण को दी गयी है जिस पर वादीगण उक्त आराजी पर काबिज रहकर बहिस्सा बराबर काश्त करते आ रहे है। वादीगण उक्त आराजी की अपने नाम खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादिया को तलब को किया गया। प्रतिवादी न्यायालय मे उपस्थित होकर जाहिर किया कि वादी के हक व हिस्से के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो कोई एतराज नही है व राजीनामा पेश किया

व पेरोकार राज ने जवाब पेश कि कि राज्य हको को सुरक्षित रखा जाकर निर्णय पारित किया जाता है तो किसी प्रकार का एतराज नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/रेस्पो0 सं. 1 व 2 की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 13.09.2010 को वाद स्वीकार कर डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध है। स्व. द्वारका प्रसाद पुत्र पोकरमल के कोई पुत्र या पुत्री नही थे। स्व. द्वारकार प्रसाद ने अपीलांट को अपनी पत्नि गीतादेवी की सहमति व अपीलांट के प्राकृतिक माता पिता की सहमति से बचपन मे ही गोद ले लिया था तथा जिस बाबत गोदनामा भी स्व. द्वारका प्रसाद ने दिनांक 14.07.2003 को पंजीकृत करवा दिया था। स्व. द्वारका प्रसाद दिनांक 04.10.08 को फौत हो गये तथा उनकी मृत्यु के पश्चात समस्त रस्म व रिवाज क अनुसार सभी कार्य अपीलांट ने ही किये थे। स्व. द्वारका प्रसाद के वारिसान अपीलांट व रेस्पो0 गीतादेवी ही है तथा विवादित भूमि मे अपीलांट का निस्फ हिस्सा का हक व हिस्सा है। विचारण न्यायालय ने महज राजीनामा के आधार पर बिना राजीनामा का विधि अनुसार जांच किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर अहम विधिक भूल की है। विचारण न्यायालय ने बिना पैरोकार राज को पक्षकार बनाये व जवाब प्रस्तुत हुए ही तथा पैरोकार राज का एतराज ना होना मानकर अहम भूल की है। विवादित भूमि स्व. द्वारका प्रसाद की खातेदारी भूमि थी तथा अपीलांट स्व. द्वारका प्रसाद का खोलायत पुत्र होने के कारण वारिस तथा विवादित भूमि मे निस्फ हिस्सा का हकदार व खातेदार है। अपीलांट की रिहायश रतनगढ़ जिला चूरू मे है जो विवादित भूमि से काफी दूर है तथा काश्त करवाने मे काफी कठिनाई होने के कारण द्वारका प्रसाद जो भी हिस्सा ठेका पर रेस्पो0 सं. 1 व 2 से काश्त करवाते थे तथा उनके फौत होने के बाद अपीलांट ने विवादित भूमि रेस्पो0 सं. 1 व 2 को हिस्सा ठेका पर काश्त हेतु देता हूं। दिनांक 24.04.2011 को रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने पैसं मांगने पर कहा कि वादग्रस्त भूमि मे तुम्हारा कोई हक व हिस्सा नही है। वादग्रस्त भूमि तो हमने एसडीएम टिब्बी से फैसला करवा अपने नाम दर्ज करवा ली है। अपीलांट ने न्यायालय मे पता करवाया तो बतलाया गया कि फैसला हो चुका है तथा पत्रावली हनुमानगढ़ अभिलेखागार मे भेज दी गई है। नकल प्राप्त करने पर सर्वप्रथम अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान हुआ। इसलिये अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को कन्डोन कर अपील ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जावें तथा अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद मे पक्षकार नही था परन्तु अपीलाधीन निर्णय

व डिक्री से प्रभावित पक्षकार है इसलिये प्रार्थना पत्र दफा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपीलांट को बतौर तृतीय पक्षकार अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावें। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 2018 पेज 67, आरआरडी 2002 पेज 483, आरआरडी 1989 पेज 364, आरआरडी 1990 पेज 364, 594 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पेश किया कि अन्य आराजी के साथ चक 7 एमकेएस के खाता सं. 19/16 के प.न. 193/231 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 प.न. 193/232 कि.न. 1, 10 कुल 7 बीघा यानि 1.771 है0 आराजी मय रास्ता प्रतिवादिया के नाम से दर्ज रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादिया रेस्पो0 सं. 3 आपस मे एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादिया के नाम से दर्ज 1.771 है0 भूमि का अरसा दराज पूर्व पारिवारिक समझौता के आधार पर बंटवारा किया गया था पारिवारिक समझौता मे वादीगण की आराजी प्रतिवादिया को दी गई एवं प्रतिवादिया के नाम की उक्त विवादित भूमि वादीगण को दी गयी है जिस पर वादीगण उक्त आराजी पर काबिज रहकर बहिस्सा बराबर काश्त करते आ रहे है। वादीगण उक्त आराजी की अपने नाम खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा गया जिसमे प्रतिवादिया ने राजीनामा पेश कर वादग्रस्त आराजी के संबंध मे सहमति प्रदान की और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री किया गया है जो सही है। अपीलाधीन निर्णय पारित होने के उपरांत गीतादेवी द्वारा रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पक्ष मे वादग्रस्त भूमि की वसीयत दिनांक 25.11.2013 को निष्पादित की है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पर कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय सहायक कलैक्टर टिब्बी के निर्णय की प्रति पेश की है उक्त निर्णय की जानकारी रेस्पो0 को अदालत हाजा मे निर्णय की प्रति प्रस्तुत करने के पश्चात हुई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत निर्णय दिनांक 21.11.16 के विरूद्ध संभागीय आयुक्त मे अपील प्रस्तुत की जा चुकी है तथा अपील लम्बित है। इसलिये प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावें। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे डीएनजे 2014 (3) पेज 865, आरएलडब्ल्यू 1993 (1) पेज 465 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 21.11.2016 प्रकरण सं. 6/2016 अपील के निस्तारण मे सहायक सिद्ध होने के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाता है।

6. पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि जो स्व. द्वारका प्रसाद के नाम दर्ज थी जो द्वारका प्रसाद के फौत होने के उपरांत विरासतन रेस्पो0 सं. 3 गीतादेवी पत्नि द्वारका प्रसाद के नाम दर्ज हुई। रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर कथन किया गया कि ''अन्य आराजी के साथ चक 7 एमकेएस के खाता सं. 19/16 के प.न. 193/231 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 प.न. 193/232 कि.न. 1, 10 कुल 7 बीघा यानि 1.771 है0 आराजी मय रास्ता प्रतिवादिया के नाम से दर्ज रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादिया रेस्पो0 सं. 3 आपस मे एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादिया के नाम से दर्ज 1.771 है0 भूमि का अरसा दराज पूर्व पारिवारिक समझौता के आधार पर बंटवारा किया गया था पारिवारिक समझौता मे वादीगण की आराजी प्रतिवादिया को दी गई एवं प्रतिवादिया के नाम की उक्त विवादित भूमि वादीगण को दी गयी है जिस पर वादीगण उक्त आराजी पर काबिज रहकर बहिस्सा बराबर काश्त करते आ रहे है। वादीगण उक्त आराजी की अपने नाम खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री किया गया है। जबकि अपीलांट के कथनानुसार एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वादग्रस्त भूमि जो कि द्वारका प्रसाद के नाम से दर्ज थी तथा द्वारका प्रसाद द्वारा अपीलांट को गोद लिया गया तथा गोदनामा दिनांक 14.07.2003 को पंजीकृत करवाया गया। प्रश्नगत गोदनामा गीतादेवी की सहमति से करवाया गया है। गोदनामा के आधार पर द्वारका प्रसाद की आराजी भूमि मे अपीलांट किशनलाल का हक व हिस्सा निहित हो चुका था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद मे

अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया और ना ही सुनवाई समुचित अवसर प्रदान किया गया।

7. यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि रेस्पो0 द्वारा यह स्पष्ट कथन किये गये कि वादग्रस्त आराजी पारिवारिक समझौता के आधार पर वादीगण/रेस्पो0 को प्राप्त हुई तथा इसी पारिवारिक समझौता के अनुसार वादीगण की भूमि प्रतिवादिया/रेस्पो0 सं. 3 गीतादेवी को प्राप्त हुई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र प्रतिवादिया गीतादेवी के नाम दर्ज भूमि रेस्पो0/वादीगण के नाम दर्ज करने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि अगर वादग्रस्त भूमि का विनिमय/तबादला हुआ है या पारिवारिक समझौता हुआ है तो वादीगण के नाम दर्ज भूमि प्रतिवादिया के नाम दर्ज करने के आदेश भी पारित होने चाहिए थे। रेस्पो. द्वारा वादग्रस्त भूमि जो जरिये अपीलाधीन निर्णय रेस्पो0/वादीगण औंकारमल आदि को प्राप्त हो चुकी थी तो उसके बाद गीतादेवी द्वारा वादीगण औंकारमल आदि के पक्ष मे वसीयत करवाने का औचित्यपूर्ण कारण स्पष्ट नही किया गया। अपीलांट स्व. द्वारका प्रसाद का दत्तक पुत्र होने के कारण द्वारका प्रसाद की आराजी भूमि मे गीतादेवी के साथ निस्फ हक व हिस्सा रखता है जिसे पाने अपीलांट अधिकारी है परन्तु दौराने अपील गीतादेवी पत्नि द्वारका प्रसाद की मृत्यु दिनांक 01.12.2016 हो चुकी है तथा कुर्सीनामा के अनुसार गीतादेवी का एक मात्र वारिस गोदनामा के अनुसार किशनलाल है। इसलिये वादग्रस्त आराजी भूमि का अकेला वारिस अपीलांट किशनलाल हुआ। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

8. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2010 निरस्त किया जाता है तथा पंजीकृत गोदनामा दिनांक 14.07.2003 एवं कुर्सीनामा दिनांक 23.01.17 के आधार पर चक 7 एमकेएस के खाता सं. 19/16 के प.न. 193/231 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 प.न. 193/232 कि.न. 1, 10 कुल 7 बीघा यानि 1.771 है0 आराजी भूमि का अपीलांट किशनलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 71/2011/223 आरटीए

1. किशनलाल दत्तक पुत्र स्व. द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी रतनगढ़ तहसील रतनगढ़ जिला चूरू।

– अपीलांट

बनाम

1. औंकारमल पि. हुकमचंद जाति ब्राहम्ण निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. नन्दलाल पि. हुकमचंद जाति ब्राहम्ण निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. गीतादेवी पत्नि द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी रतनगढ़ तहसील रतनगढ़ जिला चूरू(फौत)

————रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2010 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी मु.न. 228/2010 अनवानी औंकारमल बनाम गीतादेवी

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलांट एवं श्री राजेन्द्र जैन अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2010 निरस्त किया जाता है तथा पंजीकृत गोदनामा दिनांक 14.07.2003 एवं कुर्सीनामा दिनांक 23.01.17 के आधार पर चक 7 एमकेएस के खाता सं. 19/16 के प.न. 193/231 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 प.न. 193/232 कि.न. 1, 10 कुल 7 बीघा यानि 1.771 है0 आराजी भूमि का अपीलांट किशनलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 25.05.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ